भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

*****

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 595

(दिनांक 17.09.2020 को उत्तर के लिए)

पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान संशोधन विधेयक

595. श्री नीरज डांगीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित हो चुका है, इस विधेयक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस विधेयक को लोक सभा में पारित किए जाने के लिए 17 दिसंबर, 2012 के पश्चात् प्रस्तुत किया गया था, यदि हां, तो इसकी समय-सीमा क्या थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में लोक सभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने और पारित करने की योजना है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह

(क) और (ख): जी, हां। अनुसूचित जातियों (अ.जा) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) को पदोन्नति में निर्बाध आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान (117वां संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित किया गया था और इसे दिनांक 17.12.2012 को इसके द्वारा पारित किया गया था।

अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत क्रमश: अधिसूचित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पिछड़ा माना जाएगा तथा इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 335 की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं/पदों के किसी वर्ग अथवा वर्गों में पदोन्नति के मामलों में परिणामी वरिष्ठता के साथ राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए आरक्षण की प्रतिशतता की मात्रा तक आरक्षण हेतु कोई प्रावधान करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी।"

तथापि, 15वीं लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी और यह इसके विघटन होने पर व्यपगत हो गया।

(ग): वर्तमान में सरकारी सेवा में पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कोई संविधान संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस संबंध में सरकारी पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में चार संशोधन अर्थात 77वां 81वां 82वां और 85वां किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, '*जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता*' एवं अन्य शीर्षक वाली विशेष अनुमति याचिका सं. 30621/2011 में दिनांक 26.9.2018 के आदेश के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि नागराज मामले में यह निष्कर्ष इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में नौ न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले के विरुद्ध है कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शाने वाले परिमाणात्मक आंकड़े एकत्र करना है और इसे उस सीमा तक अवैध माना है। वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है।

******